ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 89-91**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

महिला सशक्तीकरणः संबंधित मुद्दें

मधुलिका सिंह

शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र, हंडिया पी, जी. कालेज हंडिया, प्रयागराज, (उ0प्र0) भारत

Received-17.10.2024, Revised-23.10.2024, Accepted-28.10.2024 **E-mail : madhulikasingh164@gmail.com**

***सारांशः** महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, मानसिक,राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है । उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है। महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (१९७४–७८) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास इष्टिकोण अपनाया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। यह तभी सम्भव है, जब महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर हो और अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो।*

***कुंजीभूत शब्द–** महिला सशक्तीकरण, वैधानिक, मानसिक,राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र, स्वतंत्रता, क्षमता, आत्मविश्वास*

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानून मुददों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता हैं। महिला सशक्तीकरण का मुद्दा वैश्विक समुदाय के समक्ष एक प्रमुख चुनौती का विषय बना है। लैंगिक प्रश्न आज केवल राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में मानवता का समावेश करने के लिए ही महत्वपूर्णनहीं है बल्कि दुनिया में अपनी मानवीय अस्मिता को पुनर्परिभाषित करने के लिए भी केन्द्रीय आवश्यकता है लगभग दो सौ सालों के लम्बे राजनीतिक संघर्ष के बाद नारी मुक्ति आंदोलन के समर्थकों ने इस बात को पहचाना कि "स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता हैं।" महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसी से समग्र विकास की गति निर्धारित होती है। विकास के महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी तरीका कोई दूसरा नहीं है, भूमिका चाहे पारम्परिक हो या आधुनिक बहुत कुछ नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकी है। चाहे मां, पत्नी, बहन, बेटी हर भूमिका को बखूबी से निभाया है। मां के रूप में वे अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने– पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है।

महिला सशक्तीकरण के लिए दिये गये कानूनी अधिकार– महिला सशक्तीकरण के विमर्श का प्रमुख लक्ष्य है कि महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल सामाजिक संरचना को पहचानना और उसका सैद्धांतिक सूत्रीकरण करना है, महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्रीतत्व की दावेदारी को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील विचारधारा है। महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

यदि देखा जाए तो महिला सशकक्तीकरण की बातें बहुत होती है,पर क्या हमारा समाजमहिलाओं को उनका हक दे पाया जिसकी वो हकदार हैं । आज भी समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, चाहे कितने ही कानून बना दिया जाय जब तक विचारों में, सोच में, घर में, परिवार में, समाज में, समानता का दर्जा नहीं होगा तब तक पूर्ण सशक्तीकरण संभव नहीं है। इसके लिए महिलाओं को खुद सामने आना होगा, कानून चाहे कितना भी कड़ा क्यों न बन जाए, जब तक सख्ती से अनुपालन नहीं होगा, तब तक केवल कागजों पर कानूनी अधिकार की बातें होती रहेगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं कानूनी अधिकार कुछ हद तक अधिकारों से वंचित महिलाओं के लिए कारगर साबित हुए हैं।

समान वेतन का अधिकार– समान परिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेद–भाव नहीं किया जा सकता।

कार्य– स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको कार्य स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक़ है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नये नियम लागू किए है, जिसके तहत वर्किंग प्लेस शोषण शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक ६० दिन का लीव दी जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक महिला को उनके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दे। लिंग चयन पर रोक (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

सम्पत्ति पर अधिकार– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नये नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक़ है।

गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है, तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रकिया किसी महिला द्वारा किया जायेगा।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण गरीबी उन्मूलन– चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है ज्यादा है, ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं। समष्टि आर्थिक नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में महिला सशक्तीकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आते जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमानें पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली। पहला दौर था, बौद्ध धर्म के आविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्ति काल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक (भौतिक) जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। गांधी जी के

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

आहवान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बनी और इस आंदोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरूप दिया ।

जेंडर समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है, अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में साकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचें के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से कल्याण के बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष सन् १९९० में संसद के अधिनियम द्वारा महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में ७३वें और ७४वें संशोधनों से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है,जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

लक्ष्य और उद्देश्य– उपर्युक्त नीतियों का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। नीतियों का व्यापक प्रसार किया जाएगा, ताकि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

महिला उत्थान हेतु नीतियों के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु वातावरण बनाना, तॉकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें।
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल जैसे क्षेत्रों में उनका नियमित उत्थान हो सके।
- राजनीतिक गतिविधियों में अनुकूल भागीदारी।
- व्यवसाय एवं शिक्षा में बराबर का अधिकार।
- कार्यालयों में भेदभाव की समाप्ति।
- समान वेतन की नीति।

लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगातार बढ़ोत्तरी सकारात्मक संकेत दे रहा है। पहली लोकसभा में केवल ५प्रतिशत महिलाएं थीं, वर्तमान में यह प्रतिशतबढ़कर १४.३प्रतिशत हो गई है। १७वीं लोकसभा में महिलाओं संख्या ७८ है जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि वृहद स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आस पास भी नहीं है।ध्यान देने की बात यह है कि यह अनुपात ३२प्रतिशत है तथा पड़ोसी देश बंगलादेश में २१प्रतिशत है। आजादी के बाद केवल १५वीं और १६वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मिली जो इससे पहले ६प्रतिशत से भी कम रहती थी।

क्या हैं, प्रमुख चुनौतियां–

- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के पीछे निरक्षतरता भी एक बड़ा कारण है। अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।
- शिक्षा, संसाधनों/सम्पत्ति का स्वामित्व और रोजमर्रा के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों में होने वाली लैंगिक असमानताएं महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती है।
- 'कार्यों और परिवार का दायित्व महिलाओं को राजनीति से दूर रखने में पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू काम का आसमान वितरण भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को परिवार में अधिक समय देना पड़ता है। घर तथा बच्चों की देखभाल का जिम्मा प्रायः महिलाओं को ही समभालना पड़ता है। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ महिलाओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है।
- राजनीति में रुचि का अभाव राजनीति रुचि निर्धारण में रुचि न होना भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकता है। इसमें राजनीतिक दलों की आन्तरिक गतिविधियां और इजाफा करती है,राजनीतिक दलों के आन्तरिक ढांचे में कम अनुपात के कारण भी महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख के लिए संसाधन और समर्थन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पढ़ता है।

आगे की राह–

- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं को भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिए।
- महिलाओं को उनका अवांक्षित बाध्यताओं से बाहर आने की पहल स्वयं करनी होगी जिनमें समाज जकड़ा हुआ है, जैसे– महिलाओं को घर के भीतर रहकर काम करना चाहिए, ऐसी विचारधारा से बाहर निकलना होगा।
- राज्य परिवारों तथा समुदायों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में लैंगिक अन्तर को कम करना, लैंगिक आधार पर किये जाने वाले कार्यों का पुनर्निधारण करना तथा श्रम में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने जैसी महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समुचित समाधान निकाला जाए ।

निष्कर्ष– महिलाएं भारत की आबादी का लगभग ४८ प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। आज महिला सुरक्षा सबसे जटिल समस्या बनी हुई है,महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा चिन्ता का विषय है कड़े कानून बनाने के बाद भी सुधार होते नहीं दिख रहा है। ऐसे माहौल में महिलाओं का घर के अंदर अपने आप को कैद करके बैठना उनके दरसाता है, यही वजह कि सक्षम होते हुए भी वो निष्क्रिय बनी हुई है। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा है जो प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत महिला के लिए आवश्यक है, सरकार को एक मापदंड तय करना चाहिए। प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी उनकी सुरक्षा का दायित्व उनका होगा, और इसके साथ ही आबादी के बड़े हिस्से को पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियां अपनाकर बदलाव लाने की आवश्यकता है सरकार उपर्युक्त नीतियां अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास एवं साकारात्मक कानून बनाते गये हैं किन्तु मात्र कानून बनाने से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशकतीकरण नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है, लचीली एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की। किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओंसे परिलक्षित होती है क्योंकि महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। वर्तमान समाज को समृद्ध करने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा। इसके लिए समाज को महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलनी होगी। स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अंतर्निहित है लिंगगत समाज को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य स्मरण करना उपयुक्त होगा, "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।"

महिलाएं समाज की धुरी है अगर धुरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा इतिहास गवाह है। कि जिन समाजों में महिलाओं को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये जिन समाजों ने महिलाओंको प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सका।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. द हिन्दू (समाचार पत्र)।
2. विकीपीडिया।
3. आर्या साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे?,हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,नई दिल्ली २००१ पृ.१–२.
4. रजनी कोठारी, श्राजनीति की किताबश, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली २००२ पृ.१०७.
5. कुरुक्षेत्र अंक १०.
6. योजना पत्रिका।
7. भारत, २०१६ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
8. रविवारीय, जनसत्ता नई दिल्ली २००७.
9. जोशी रूपा भारत में स्त्री और समानतारूएक विमर्श हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय,दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली २००६

*****